

**मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र**

(दिनांक 25/04/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25/04/2023 को दोपहर 11:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- A. बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-
1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (वाणिज्य विभाग के नामित पत्र दिनांक 3/09/2008 के अनुसार)
  2. श्री योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त (उद्योग), डीआईसी, मुरादाबाद (प्रमुख सचिव, उद्योग, उ०प्र० सरकार के प्रतिनिधि)
  3. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, डीजीएफटी दिल्ली।
  4. श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडीए।
  5. श्री नागेंद्र सिरोही, अधीक्षक, सीजीएसटी मुरादाबाद।
  6. श्री भूपेंद्र कुमार मर्तोलिया, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी मुरादाबाद।
  7. श्री आनंद प्रकाश, निरीक्षक, आयकर विभाग, मुरादाबाद।
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क), नोएडा एसईजेड/मुरादाबाद एसईजेड, (ii) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड (iii) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड और (iv) जोसेफ उपाध्याय, आशुलिपिक, मुरादाबाद एसईजेड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी मौजूद थे। यह बताया गया कि निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक शुरू हो सकती है।
- C. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

01.	<b>दिनांक 09/03/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।</b> दिनांक 09/03/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया। अतः दिनांक 09/03/2023 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
02.	आयात एवं ठेके का काम अनुमति हेतु प्रस्ताव।

सुरेन्द्र मलिक

**3.1 मैसर्स ईस्ट एल्म।**

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया था कि पत्र दिनांक 12.04.2023 को जिला अधिकारी कार्यालय, मुरादाबाद से ईमेल के माध्यम से 17.04.2023 को सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड को पृष्ठांकित किया गया था, जिसमें उन्होंने मंडलायुक्त, मुरादाबाद मंडल के पत्र दिनांक 25.03.2023 को अग्रेषित किया है। मैसर्स ईस्ट एल्म की दिनांक 23.01.2023 की शिकायत का सीएम पोर्टल पर सत्यापन कर मुरादाबाद के जिला अधिकारी को सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
2. श्री शैलेंद्र पाल सिंह, मैसर्स ईस्ट एल्म के पार्टनर अनुमोदन समिति के समक्ष पेश हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने मई 2020 में मुरादाबाद एसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था और उन्हें आज तक काम करने की अनुमति नहीं मिली है। इस बीच, विकासकर्ता यूपीएसआईडीए ने इकाई को आवंटित भूखंड संख्या एच-26 पर समय-विस्तार शुल्क और अन्य शुल्क लगाए हैं। श्री शैलेंद्र ने अनुरोध किया कि समय-विस्तार शुल्क माफ किया जाए और उन्हें एसईजेड में काम करने की अनुमति दी जाए या उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए और इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ब्याज सहित वापस की जाए।
3. समिति को बताया गया कि दिनांक 07.09.2020, 23.02.2021, 12.03.2021, 27.05.2021, 10.06.2021 07.02.2022 और अंत में 27.07.2022 को हुई बैठकों में मैसर्स ईस्ट एल्म द्वारा नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था। यह नोट किया गया कि ऐसा इकाई द्वारा बताई गई कमियों पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण था।
4. यह भी सूचित किया गया कि एलओए के लिए उनके प्रस्ताव पर विचार करने में देरी के इकाई के आरोप गलत दिशा में थे क्योंकि इकाई ने अनुमोदन समिति द्वारा पूछे जाने पर कभी भी पूरी जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की। जब इकाई ने पूरी जानकारी जमा कर दी तो मामले के पूरे तथ्य स्वीकृति समिति के समक्ष दिनांक 27.07.2022 को हुई बैठक में रखे गए। जिसमें इकाई को उनके एलओए के संबंध में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया गया था, जो कि यूपीएसआईडीए के विकासक से भूखंड के समय-विस्तार को प्रस्तुत करने के अधीन था, जो 25.05.2021 को समाप्त हो गया था। यह भी बताया गया कि प्लॉट पर समय विस्तार देने या 'समय-विस्तार शुल्क' लगाने/माफी देने का मामला केवल यूपीएसआईडीए से संबंधित है।
5. समिति को आगे बताया गया कि इस तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यूपीएसआईडीए आवंटन के लिए अपनी सामान्य प्रक्रिया अपना रहा है जो एसईजेड नियमों से अलग है। उत्तरार्द्ध किसी भी आवेदक को स्थान की अनंतिम पेशकश को अनिवार्य करता

सुरेंद्र मलिक